न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 55/2018

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री जीयाराम, प्रवर्तन अधिकारी, बाड़मेर		श्री गौतमचन्द पुत्र श्री पारसमल जैन जाति जैन, निवासी बाड़मेर मालिक बाड़मेर गैस एजेन्सी, बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.02.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 09.10.2018 को थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर द्वारा पांच बत्ती चौराहे के पास वाली गली मे बाड़मेर गैस ऐजेन्सी के 27 घरेलु गैस सिलेण्डर सड़क पर खुले पाये गये, जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नही होने के कारण उक्त 27 गैस सिलेण्डरों को सुरक्षा हेतु पुलिस थाना कोतवाली मे रखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे सूचना दी गयी। इस संबंध मे प्रार्थी द्वारा श्री सवाईराम प्रवर्तन निरीक्षक शिव मुख्यालय बाड़मेर के साथ जांच की गई। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित बाड़मेर गैस ऐजेन्सी के मालिक गौतमचन्द एवं नौकर बरकत ने बताया कि उक्त सिलेण्डर बाड़मेर गैस एजेन्सी के है जो दिनांक 09.10.2018 को सुबह एजेन्सी के गोदाम से गाड़ी भरकर सप्लाई हेतु लेकर गये, गाड़ी खराब होने के कारण सड़क के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किनारे खाली किये गए व गाड़ी को सही करवाने भेजा गया। जांच मे जिस स्थान पर सिलेण्डर रखे पाये, वह स्थान सिलेण्डर भण्डार हेतु अधिकृत स्थान नही पाया गया। जिस पर उक्त 27 घरेलु गैस सिलेण्डर अनाधिकृत स्थान पर भण्डारित होने के कारण मौके पर जब्त सरकार किये गए तथा मैसर्स थार गैस सर्विस बाड़मेर के मैनेजर श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री छगनसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द किये गये। अप्रार्थी श्री गौतमचन्द पुत्र श्री पारसमल जैन जाति जैन निवासी बाड़मेर द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर अनाधिकृत स्थल पर भण्डारण किया है, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा 27 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी फर्म के है जो उपभोक्ताओं को वितरित होने के लिये वाहन से जा रहे थे लेकिन वाहन खराब हो जाने के कारण उसको ठीक कराने हेतु भेजा गया था। इस दरम्यान प्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों को सीज किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2018 को पुलिस थाना कोतवाली मे दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट मे भी उक्त आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि गाड़ी खराब हो जाने के कारण उक्त सिलेण्डरों को सुरक्षित खाली जगह पर रखा गया था। आपातकाल मे जिस स्थान पर सिलेण्डर उतारे गये है वह स्थान मुख्य सड़क से 50 मीटर दूरी पर है। इस कारण दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय ओर वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 4 का उल्लंघन नही है। आपातकालीन परिस्थितियों मे जिस स्थान सिलेण्डर उतारे गये है वह स्थान प्रतिबन्धित श्रेणी मे नही आता है। प्रार्थी द्वारा दर्ज कराये गये आपराधिक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 मे भी बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा नजीता एफआर अदम वकु तथ्य की भूल मे दिया जाकर स्वीकृति हेतु सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम के उल्लंघन नही किया है, लिहाजा धारा 6 (ए) की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावें।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि जांच मे जिस स्थान पर सिलेण्डर रखे पाये, वह स्थान सिलेण्डर भण्डार हेतु अधिकृत स्थान नही पाया गया। जिस पर उक्त 27 घरेलु गैस सिलेण्डर अनाधिकृत स्थान पर भण्डारित होने के कारण मौके पर जब्त सरकार किये गए। अप्रार्थी श्री गौतमचन्द पुत्र श्री पारसमल जैन जाति जैन निवासी बाड़मेर द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर अनाधिकृत स्थल पर भण्डारण द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके जवाब मे अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकट किया है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वितरित करने हेतु जा रहे थे जो गाडी खराब हो जाने के कारण आपात परिस्थितियों मे सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रखा गया। जवाब के साथ ही पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर मे अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज कराये गये आपराधिक प्रकरण सं. 470 दिनांक 01.11.2018 की अंतिम रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमे पुलिस द्वारा अनुसंधान मे यह निष्कर्ष दिया है कि वाहन तकनीकी खराबी के कारण उक्त गैस सिलेण्डर्स को सुरक्षित स्थान पर उतारा गया है। प्रकरण मे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन होना नही पाया गया है तथा नतीजा एफआर अदम वकु तथ्य की भूल मे दिया जाकर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया जाना नही पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे मे अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण मे सीजशुदा उक्त 27 गैस सिलेण्डर जो अस्थाई रूप से अप्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये गये है के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

5. आदेश आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर